प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.02.2026

ऑपरेशन प्रहार
गाजियाबाद पुलिस का अपराध के विरुद्ध सशक्त अभियान

श्री जे रविन्दर गौड, पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे **"ऑपरेशन प्रहार"** के अंतर्गत जनवरी माह-2026 में पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा व्यापक, सघन एवं प्रभावी अभियान चलाया गया।

इस अभियान का उद्देश्य कमिश्नरेट में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना, अपराधियों पर अंकुश लगाना तथा आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को ओर मजबूत करना रहा।

◆ अभियान के प्रमुख उद्देश्य

- संगठित एवं सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही
- **अवैध हथियार**, **मादक पदार्थों** एवं **शराब की तस्करी** पर रोक
- वांछित/इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी
- सार्वजनिक स्थलों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना

◆ जनवरी माह में की गई प्रमुख कार्यवाही

ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत थाना स्तर पर विशेष टीमें गठित कर निम्नलिखित कार्यवाही की गई—

- गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के वांछित एवं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी
- विभिन्न मामलों में अवैध हथियारों की बरामदगी
- **मादक पदार्थों की तस्करी में** संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही
- **अवैध शराब निर्माण/तस्करी** पर प्रभावी छापेमारी
- **जुआ, सट्टा** एवं सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही
- लूट, चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी आदि अपराधों में सफल अनावरण
- गुण्डा, गैंगस्टर एवं हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

◆ निरोधात्मक कार्यवाही

- संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग
- सार्वजनिक स्थलों, बाजारों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल/वाहन गश्त
- शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध के अंतर्गत कार्यवाही

◆ जनसहयोग एवं अपील

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद आम नागरिकों से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, अपराध या अवैध कार्य की सूचना तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस हेल्पलाइन को दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

हाल ही में ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत कार्यवाही का विवरण

दिनांक 03.02.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत चलाए जा रहे अभियान में 4 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 4750 ग्राम गांजा बरामद किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.बृजराज पुत्र छदामी निवासी गली न01, 30 फुटा रोड थाना नन्दग्राम कमि० गाजियाबाद उम्र-58 वर्ष (1150 ग्रांम अबैध गांजा बरामद)

2.लल्ला बाई पत्नी बृजराज निवासी गली न0 1, 30 फुटा रोड नन्दग्राम कमि० गाजियाबाद उम्र 55 वर्ष (1050 ग्राजा अवैध गांजा बरामद)

3.सोना पत्नी कमल निवासी गली नं0-1, 30 फुटा रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि० गाजियाबाद उम्र-27 वर्ष (बरामद 1350 ग्राम गांजा, 50 लाख 67 हाजार 530 रुपये, 7 मोबाइल फोन बरामद)

4.गीता पत्नी तरुन निवासी गली न01, 30 फुटा रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि) गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष (1200 ग्राम अबैध गांजा, 8 लाख 48 हजार 650 रुपये बरामद)

दिनांक 02.02.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1008 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।

दिनांक 02.02.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त विकाश शर्मा उर्फ लीली पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी सोंदा रोड, देवनगर, गली नं0 1, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से **कुल 1008 ग्राम अवैध** गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मोदीनगर पर गिरफ्तार अभियुक्त के **विरुद्ध धारा 8/20** एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा जनवरी माह में अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 15 किलो 338 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. साजिदा पुत्री साजिद निवासी म0नं0 642 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

2. साहिना खातून पत्नी स्व0 शाहबुद्दीन निवासी 642 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष

3. शबनम पत्नी बबलू त्रिपाठी निवासी म0नं0 954 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद हाल पता- बबलू त्रिपाठी का मकान नं0 ई-24 गली नं 12 दयालपुर दिल्ली उम्र 34 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया

4. रवि पुत्र राकेश उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम छर्रा भमोरी कला थाना छर्रा जनपद अलीगढ़ वर्तमान पता लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना कोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद
5. रजनी पत्नि फुरकान निवासी 954 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष
6. मौ० अदनान उर्फ राजा पुत्र मौ० इरफान निवासी पप्पू डीलर के मकान के पास में गली नं 20 पेट्रोल पम्प के पास नीयर जामा मस्जिद यमुना विहार थाना भजनपुरा दिल्ली मूल निवासी ग्राम व पोस्ट-बरूकी नगीना मार्ग थाना कोतवाली जिला बिजनौर उम्र 18 वर्ष
7. निखिल पुत्र राजेन्द्र निवासी गली नं 02 रतनलाल हॉस्पीटल के पास रघुनाथपुरी थाना क्रासिंग रिपब्लिक कमि० गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष मूल निवासी ग्राम लच्छी थाना दनकौर गौतमबुद्ध नगर
8. हिमांशु उर्फ आकाश पुत्र ओमप्रकाश उम्र 30 वर्ष निवासी गली नं0 01 कृष्णा नगर बागू थाना क्रासिंग रिपब्लिक कमि० गाजियाबाद मूल निवासी बहादुरगढ़ जिला हापुड़

ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जनवरी माह में की गई प्रभावी कार्यवाही का संख्यात्मक विवरण –

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा बरामद मादक पदार्थ का विवरण	
गांजा	**98 किलो 509 ग्राम**
अफीम	**2 किलो 206 ग्राम**
अल्प्राजोलम टैबलेट	**570 टैबलेट**

उपरोक्त प्रकरणों में **कुल 23** अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा बरामद अवैध हथियारों का विवरण	
पिस्टल	**10**
कारतूस	**17**

उपरोक्त प्रकरणों में **कुल 10** अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

"ऑपरेशन प्रहार" के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर एवं और अधिक प्रभावी रूप से जारी रहेगा। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद जनपद को अपराध मुक्त एवं सुरक्षित बनाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत चलाये जा रहे अभियान मे 4 अभियुक्तगण गिरफ्तार कब्जे से 4750 ग्राम गांजा व 59 लाख 16 हजार 180 रुपये नगद व 12 मोबाइल फोन (05 कीपैड फोन, 07 एन्ड्रायड फोन) बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त सिटी जोन के निर्देशानुसार ,श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त नन्दग्राम के नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक थाना नन्दग्राम मय थाना नन्दग्राम पुलिस फोर्स तथा थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.02.2026 को ऑपरेशन प्रहार के तहत टीम गठित कर दौराने चैकिंग थाना नन्दग्राम क्षेत्र गली नं01 30 फुटा रोड नन्दग्राम से मुखबीर की सूचना पर 4 अभियुक्तगणों (1 पुरुष अभियुक्त, 3 महिला अभियुक्ता) को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 4750 ग्राम गांजा, 59 लाख 16 हजार 180 रुपये नगद व 12 मोबाइल फोन (05 कीपैड फोन, 07 एन्ड्रायड फोन) बरामद। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया कि साहब यह ये जो गांजा हमारे पास से मिला है वो हमे दो अलग-अलग व्यक्ति दो पहिया वाहन से लाकर दे जाते है जिसे हम लोग छोटे छोटे पूडिया मे पैक कर बेचते है । गांजा पहुचाने वालो से मोबाइल से बात होती है। यह जो रुपये हमारे पास से मिले है यह हम लोगों ने काफी समय से ये गांजा बेचकर इकट्ठा किया है। इन पैसो से हम अपना खर्चा चलाते है व सम्पत्ति बनाते है।

अभियुक्त का नाम व पता

1.बृजराज पुत्र छदामी निवासी गली नं01, 30 फुटा रोड़ थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-58 वर्ष(1150 ग्रांम अवैध गांजा बरामद)

2. लल्ला बाई पत्नी बृजराज निवासी गली नं01, 30 फुटा रोड नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र 55 वर्ष (1050 ग्रांजा अवैध गांजा बरामद)

3. सोना पत्नी कमल निवासी गली नं0-1, 30 फुटा रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-27 वर्ष (1350 ग्राम गांजा, 50 लाख 67 हाजार 530 रुपये, 7 मोबाइल फोन बरामद)

4.गीता पत्नी तरुन निवासी गली नं01, 30 फुटा रोड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष (1200 ग्राम अवैध गांजा, 8 लाख 48 हजार 650 रुपये बरामद)

आपराधिक इतिहास अभियुक सोना पत्नी कमल उपरोक्त-

धारा 8/20 एनडीपीएक्स अधि0 थाना सिहानी गेट कमि0 गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

4750 ग्राम अबैध गांजा ,

59 लाख 16 हजार 180 रुपये नगद ,

12 मोबाइल फोन (05 कीपैड फोन, 07 एन्ड्रायड फोन)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

सहायक पुलिस आयुक्त नन्दग्राम की टीम व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 1 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 03.02.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त जगदीश उर्फ गनेश पुत्र अशरफी मण्डल निवासी झुग्गी झोपडी गाजीपुर सब्जी मण्डी रोड गाजीपुर थाना गाजीपुर दिल्ली मूल निवासी गांव कल्याणपुर थाना हारपुर जिला मुंगैर राज्य बिहार उम्र करीब 21 वर्ष को यशोदा हास्पिटल के पास मैट्रो लाईन के नीचे सर्विस रोड पर 01 किलो 50 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध में धारा 8/20 NDPS Act के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त जगदीश उर्फ गनेश उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं नाजायज गांजा की पुडिया बनाकर घूम फिरकर रिक्शा वालो व आने जाने वाले आदि लोगो को 100-150 रुपये प्रति पुडिया के दर से बेचकर पैसे कमाकर अपने शौक-मौज पूरे करता था गांजा बेचने का काम काफी दिनो से कर रहा हूँ तथा एक जगह पर गांजा न बेचकर घूम फिरकर जगह बदल बदलकर बेचता हूँ आज भी में इसे बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- जगदीश उर्फ गनेश पुत्र अशरफी मण्डल निवासी झुग्गी झोपडी गाजीपुर सब्जी मण्डी रोड गाजीपुर थाना गाजीपुर दिल्ली मूल निवासी गांव कल्याणपुर थाना हारपुर जिला मुंगैर राज्य बिहार उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 1 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर एक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक अपराध की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

ग्रामीण जोन में श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण द्वारा पुलिस बल के साथ चलाया गया ऑपरेशन प्रहार, थाना मोदीनगर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध गांजा कुल 01 किलो 564 ग्राम (27 पैकेट), 01 डिजिटल तराजू व 02 पैकेट प्लास्टिक पैकिंग बैग बरामद। थाना लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त 02 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया।

दिनांक 02.02.2026 **“ऑपरेशन प्रहार”** के अन्तर्गत **श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण** के नेतृत्व में श्री ज्ञान प्रकाश राय, सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार, श्री सिद्धार्थ गौतम, सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, थाना प्रभारी लोनी बॉर्डर, थाना प्रभारी अंकुर विहार, थाना प्रभारी ट्रोनिका सिटी, थाना प्रभारी लोनी व अन्य पुलिस बल के साथ ग्रामीण जोन के थाना लोनी बॉर्डर, अंकुर विहार, लोनी, ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्रों में भृमण कर संभावित हॉट स्पॉट्स पर दबिश दी गई जिसमें भ्रमण/दबिश के दौरान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण द्वारा सुरक्षा व्यवस्था व अपराध नियंत्रण हेतु गश्त बढ़ाने व जनता से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए।

“ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त 02 अभियुक्तों 1. शिवम पुत्र बाल किशन निवासी सनराइज ऑफिस के पास राहुल गॉर्डन थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष 2. अनुज उर्फ अन्नू पुत्र स्व0 सोनपाल निवासी निशांत धामा के ऑफिस के सामने राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ के दौरान बताया गया कि बेहटा स्टेशन के पास सनी नामक अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध गांजा की बिक्री करता है। इस नेटवर्क के संबंध में पुलिस टीम का गठन कर जानकारी की जा रही है।

“ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत **श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण** के निर्देशन में श्री अमित सक्सेना, सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर ने थाना प्रभारी मोदीनगर व अन्य पुलिस बल के साथ थाना मोदीनगर क्षेत्र मोदीनगर में भृमण कर संभावित हॉट स्पॉट्स पर दबिश दी गई जिसमें भ्रमण/दबिश के दौरान सुरक्षा व्यवस्था व अपराध नियंत्रण हेतु गश्त व जनता से संवाद स्थापित किया गया।

“ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. अय्यूब पुत्र मौ0 नाजिर अली निवासी गली नं0-2, किदवई नगर, सौंदा रोड, नाले के पास थाना मोदीनगर गाजियाबाद 2. मुस्तफा पुत्र मौ0 नाजिर अली निवासी गली नं0 2, किदवई नगर, सौंदा रोड, नाले के पास थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अवैध गांजा कुल 01 किलो 564 ग्राम (27 पैकेट), 01 डिजिटल तराजू व 02 पैकेट प्लास्टिक पैकिंग बैग बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मोदीनगर पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमसे जो गांजा बरामद हुआ है यह गांजा हमारा भाई तैय्यब पुत्र मौ0 नाजिर अली द्वारा जवाहर नगर रोहटा रोड मेरठ जहां पर बडी मात्रा में कई लोग गांजा की थोक व फुटकर बिक्री करते हैं वहां से 10 हजार रु प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर लाता है जिसको हम सभी लोग मिलकर गाँजा की छोटी छोटी पुडिया बनाकर फुटकर में 20 हजार रु प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर रुपये कमाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.अय्यूब पुत्र मौ0 नाजिर अली निवासी मकान नं0 254, गली नं0 2, किदवई नगर, सौंदा रोड, नाले के पास थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।

2. मुस्तफा पुत्र मौ0 नाजिर अली निवासी मकान नं0 254, गली नं0 2, किदवई नगर, सौंदा रोड, नाले के पास थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का विवरण-

तैय्यब पुत्र मौ0 नाजिर अली निवासी म0नं0 254 गली नं0 2 किदवईनगर सौंदा रोड नाले के पास थाना मोदीनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से अवैध गांजा कुल 01 किलो 564 ग्राम (27 पैकेट), 01 डिजिटल तराजू व 02 पैकेट प्लास्टिक पैकिंग बैग बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जिससे परेशान होकर पत्नी द्वारा आत्महत्या कर लेने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 01.02.2026 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करना व मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करना जिससे परेशान होकर पत्नी द्वारा आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में थाना लिकंरोड पर धारा 85/80 बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 02/03.02.2026 की रात्रि थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त 1.राकेश कुमार पुत्र धर्मवीर सिहं उम्र करीब 29 वर्ष, 2.धर्मवीर सिहं पुत्र स्व0 राजवीर उम्र करीब 49 वर्ष निवासीगण म0नं0 सी-157 चौधरी मेडीकल स्टोर के पास ग्राम झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद को इन्द्रप्रस्थ कॉलेज कट साइट-4 से व 01 अभियुक्ता श्रीमती उर्मिला पत्नी धर्मवीर सिहं निवासी म0नं0 सी-157 चौधरी मेडीकल स्टोर के पास ग्राम झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को झण्डापुर रोड ग्लास फैक्ट्री के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र धर्मवीर सिहं उपरोक्त अपनी पत्नी से अतिरिक्त दहेज की मांग करता था व दबाव बनाकर प्रताड़ित करता था। जिसके फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त की पत्नी ने आत्महत्या कर ली।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. धर्मवीर सिहं पुत्र स्व0 राजवीर निवासी म0न0 सी-157 चौधरी मेडीकल स्टोर के पास ग्राम झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र करीब 49 वर्ष।
2. राकेश कुमार पुत्र धर्मवीर सिहं म0न0 सी-157 चौधरी मेडीकल स्टोर के पास ग्राम झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
3. श्रीमती उर्मिला पत्नी धर्मवीर सिहं निवासी म0न0 सी-157 चौधरी मेडीकल स्टोर के पास ग्राम झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना लिंकरोड पर दहेज हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग का सफल अनावरण 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पिस्टल .32 बोर व एक जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

दिनांक 26.01.2026 को वादी श्री हरीशंकर पुत्र रविन्द्र सिंह नि0 बी- 61 लालबाग थाना लोनी बार्डर द्वारा वादी की पत्नी के बाजार से आते समय दो अज्ञात नकाबपोश द्वारा गोली मार देना वादी को पडोसियों पर शक होने के सम्बन्ध में सुसंगत धारा 109(1)/61(2) बीएनएस में पंजीकृत कराया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठन की कार्यवाही की गयी। दिनांक 03.02.2026 को पुलिस टीम लोनी बार्डर द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. विनीत राजपूत पुत्र श्यामवीर सिंह निवासी ग्राम टूकाली थाना चांदी नगर जिला बागपत हाल पता रामविहार बंथला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष 2. विभोर शर्मा पुत्र स्व0 महेश प्रकाश शर्मा निवासी मकान नंबर C 106 इंद्रापुरी मूवी मैजिक के पास थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष 3. हरिशंकर उर्फ हरीश उर्फ सोनू पुत्र श्री रविंद्र सिंह निवासी B-61, लाल बाग लोनी थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष 4. राज बैसला पुत्र वीरेन्द्र निवासी राम बिहार बूंथला थाना लोनी मूल निवासी ग्राम सबलू की घडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष 5. अर्जुन पुत्र श्यामवीर सिंह निवासी राम विहार बंथला लोनी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम टूपाली जिला बागपत उम्र 20 वर्ष को मय एक अदद पिस्टल 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही / गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ में यह प्रकाश में यह तथ्य आये हैं कि वादी मुकदमा द्वारा ही आपराधिक षडयंत्र कर अपनी पत्नी पर गोली चलवायी गयी तथा पडोसियों को मुकदमें झूठा फँसाने के उद्देश्य से थाना पर अभियोग पंजीकृत कराया था। इस सम्बन्ध में अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

वादी मुकदमा / अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि मुझे अपनी पत्नी पर अवैध सम्बन्ध होने का शक था कि जिसे लेकर मैनें अपनी पत्नी को रास्ता से हटाने के लिये योजना बनायी जिसमें विनीत अभिषेक राज उर्फ राजा और अर्जुन के साथ विभोर से पिस्टल ली। इसी योजना के तहत मेरे कहने पर दिनांक 25.01.2026 को विनीत ने मेरी पत्नी के मेरे साथ बाजार से आते समय गोली मार दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. विनीत राजपूत पुत्र श्यामवीर सिंह निवासी ग्राम टूकाली थाना चांदी नगर जिला बागपत हाल पता रामविहार बंथला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष
2. विभोर शर्मा पुत्र स्व0 महेश प्रकाश शर्मा निवासी मकान नंबर C 106 इंद्रापुरी मूवी मैजिक के पास थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष
3. हरिशंकर उर्फ हरीश उर्फ सोनू पुत्र श्री रविंद्र सिंह निवासी B-61, लाल बाग लोनी थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष
4. राज बैसला पुत्र वीरेन्द्र निवासी राम बिहार बूंथला थाना लोनी मूल निवासी ग्राम सबलू की घडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

5. अर्जुन पुत्र श्यामवीर सिंह निवासी राम विहार बंथला लोनी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम टूपाली जिला बागपत उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

एक पिस्टल .32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है इसके अतिरिक्त अभियुक्त विभोर शर्मा पुत्र स्व0 महेश प्रकाश शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बार्डर पर विभिन्न धाराओं के 11 अभियोग, कोतवाली गाजियाबाद पर 02 अभियोग व थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग एवं थाना खोडा पर 01 अभियोग तथा दिल्ली के विभिन्न थानों पर 05 अन्य अभियोग पंजीकृत है (कुल 20 अभियोग)। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से BMW कार से चोरी के 02 ORVM (साइड मिरर) व चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 25.01.2026 को वादिया द्वारा थाना लिंकरोड पर लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी बी एम डब्लू गाड़ी के दोनो तरफ के OVRM मिरर दिनांक 19.01.2026 की सुबह चोरी हो गये है एवं मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी के सम्बन्ध में थाना लिंकरोड पर धारा 303(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 03.02.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त सलमान पुत्र कौसर निवासी भजनपुरा दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को कौशाम्बी बस स्टैण्ड के पीछे से BMW कार की चोरी के 2 साइड मिरर एवं चोरी की 01 स्कूटी बरामद के सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 303(2),317(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त गरीब परिवार से है तथा नशा करने का आदी है। इसी कारण नशे का शौक पूरा करने के लिये मौका पाकर चोरी जैसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहता है। अभियुक्त से BMW कार के शीशे व स्कूटी के सम्बन्ध में पूछताछ की तो बताया कि दिनांक 19.01.2026 को रोड पर खड़ी गाडी से चोरी किये व स्कूटी को अभियुक्त ने उस्मानपुर दिल्ली से चोरी किया था एवं मौका पाकर दिल्ली में जाकर औने-पौने में दामों में बेचकर जो पैसा प्राप्त होता उससे वह अपने नशे का शौक पूरा करता। अभियुक्त इसे दिल्ली ले जाकर बेचने की फिराक में था तभी पुलिस द्वारा चैंकिग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- अभियुक्त सलमान पुत्र कौसर निवासी विजय के मकान में किरायेदार गली न0 20 सुभाष मौहल्ला थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- BMW कार के चोरी के 02 ORVM (साइड मिरर) व चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधित इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।